न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्र0सं0 10/24 दायरा दिनांक 04.12.2024

पीठासीन अधिकारी – श्री संतोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

रामजीलाल पुत्र सुन्दरलाल जाति किराड निवासी खटका तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान –अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय दिनांक – 12.12.2024

उपस्थित – प्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

अप्रार्थी की ओर से – स्वयं

1. मामला संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम खटका तहसील शाहाबाद में जमाबंदी संवत 2071–74 के ख.नं. 866/579 रकबा 1.00 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी के खाते दर्ज है। सेटलमेंट जमाबंदी 2039–42 में ग्राम खटका के मूल ख.नं. 679 में मूल रकबा 19.11 बीघा सिवायचक दर्ज रहा है, जिसमें से 1.00 बीघा भूमि अप्रार्थी के हक में दिनांक 21.09.1989 को नियमन हुई है, इस नियमन आदेश की पालना में नामा. नं. 281 दिनांक 21.09.1989 को दर्ज किया गया, जिसमें लिपिकीय त्रुटिवश ख.नं. 866/679 के स्थान पर 866/579 गलत दर्ज हो गया और तभी से उक्त ख.नं. 866/579 जमाबंदी में गलत दर्ज चला आ रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना (DILRMP) अन्तर्गत तरमीम कार्य प्रगति पर है, परन्तु उक्त ख.नं. गलत होने से तरमीम कार्य में बाधा आ रही है, जिसे दुरूस्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः दुरूस्ती के आदेश पारित फरमावें।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी व्यक्तिशः उपस्थित आया और उक्त दुरूस्ती बावत लिखित सहमति नामा पेश किया।
3. प्रार्थी द्वारा पेश जमाबंदी ग्राम खटका तहसील शाहाबाद संवत 2071–74 में ख. नं. 866/579 रकबा 1.00 बीघा अप्रार्थी के नाम दर्ज है। संलग्न जमाबंदी सेटलमेंट ग्राम खटका संवत 2020–39 में मूल ख.नं. 679 रकबा 19.11 बीघा दर्ज है, परन्तु संलग्न नकल नामा. नं. 281 में नियमन का अमल करते समय बटा नंबर 866/579 दर्ज किया गया है, जबकि मूल ख.नं. 679 होने से उक्त ख.नं. 866/679 दर्ज किया जाना चाहिये था।
4. इस प्रकार उक्त बटा नंबर मूल ख.नं. 679 में से निर्मित हुआ है, जो 866/679 ही दर्ज किया जाना चाहिये था, परन्तु तत्कालीन राजस्व कर्मी ने उक्त ख.नं. लिपिकीय त्रुटिवश गलत दर्ज कर दिया, जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी ने भी इस बाबत अपनी सहमति प्रदान की है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2025.01.03 12:54:13 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

5. अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को आदेश है कि ग्राम खटका तहसील शाहावाद जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 169 में दर्ज ख.नं. 866/579 के स्थान पर 866/679 दर्ज कर खाता दुरूस्त करें। निर्णय आज दिनांक 12.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वइजलास सुनाया गया। पालनार्थ तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसलशुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2025.01.03 12:54:13 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner